भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 419

जिसका उत्तर 22.07.2026 को दिया जाना है

हाईवे सुरक्षा

419 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थानों) की संख्या कितनी है;

(ख) ठीक किए गए ब्लैक स्पॉट की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के कुछ खंडों को ब्लैक कॉरिडोर (दुर्घटना संभावित कॉरिडोर) के रूप में चिन्हित किया गया है जो ब्लैक स्पॉट अर्थात ऐसे स्थान जहां कुछ संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें मौतें और गंभीर चोटें शामिल होती हैं, के मानदंडों को पूरा करते हैं। इन ब्लैक कॉरिडोर की पहचान एआई आधारित उपकरणों (टूल्स) के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की गई है। वर्ष 2023-2025 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) से उपलब्ध दुर्घटना डेटा के आधार पर, 6409.7 किमी की कुल लंबाई के साथ 6,358 ब्लैक कॉरिडोर की एक सूची की पहचान की गई है। इसके अलावा, कैलेंडर वर्ष 2023 से कैलेंडर वर्ष 2025 तक इन ब्लैक कॉरिडोर में कुल 37,164 मौतें हुई हैं।

ब्लैक कॉरिडोर की तत्काल सुधार के लिए अल्पकालिक उपायों में सड़क चिह्नांकन, साइनबोर्ड, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिवाइडर, अनधिकृत मीडियन ओपनिंग को बंद करना, यातायात नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं। सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन सुधार, सड़क का स्थानिक चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे ब्लैक कॉरिडोर के समाधान हेतु दीर्घकालिक उपाय भी कार्य स्थल की अपेक्षा के अनुसार स्थायी मरम्मत उपायों के रूप में किए जाते हैं। दीर्घकालिक मरम्मत कार्यों में निर्माण-पूर्व कार्यकलापों जैसे भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण शामिल हैं जिनमें पर्याप्त समय लगता है।
